



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- CHG/JNG-Champ/Lst-38CHG06002

दिनांक -27.01.2022

प्रेषित- Shri Jayakumar Krishnaswamy, M/s Nuvoco Vistas Corporation Limited, Equinox Business Park, Tower 3, East Wing, 4 th Floor, LBS Road, Kurla (west), Mumbai- 400 070, Maharashtra, email jayakumar.krishnaswamy@nuvoco.com, ravikant.yadav@nuvoco.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम -अंरस्मेता, तहसील कल्लुआँ, जिला जंजिर - चम्पा छसगढ़ में स्थित आपकी अंरस्मेता चूना पत्थर खान (Arasmeta Limestone Mine) (क्षेत्रफल 46.292 ha) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 03.12.2021 को श्री Ravikant Yadav, Manager (Mines) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	Following violations are observed against proposals in approved Modifications of approved Mining Plan for the period from 2017-18 to 2021-22 approved vide letter no. Janjgir/Lst/Jhoye-1243/2020 dated 28.10.2020. Against proposal to carry out plantation of 2500 saplings during the year 2020-21, plantation of 1875 saplings has been carried out.
26 (2)	A yearly report as per the format specified by Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitate works carried out has not been submitted for the year 2020-21.
45 (5) (b)	Following information are furnished incorrectly in submitted Monthly Return for the month October, 2021: (i) Number working days is furnished as 25 days although no mining operations carried out during the period. (ii) No information production proposal for current financial year and cumulative production as reported up to current month are furnished.
45(5) (c)	Following information are furnished incorrectly in submitted Annual Return for the year 2020-2021: (i) Surface area utilization (ii) Mineral reserves
55 (1) (c) (i)	Whole time Geologist is not appointed

² इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियम 62 के अंतर्गत भूविज्ञानीकों का नियोजन ना कर ने पर रुपिया 5,00000 का जुर्माना एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017

के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने परयाप्ररूप में बर्सिक/ मसिक बिबरनी / में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।

(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **11(1), 26 (2) एवं 55 (1) (c) (i)** का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

4.अतःआपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **45(5)(c)** का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(देबदुर्लभ दाश)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
Email-com.cz@ibm.gov.in

(देबदुर्लभ दाश)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर